

05.02.2019

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मोहम्मद अख्तर अंसारी पिता हानिफ अंसारी निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम थाना सं: 62 (रैयाती) खाता सं. 95/2, 147, 148, 427 & 428 के अधीन प्लॉट सं. 2136, 2191, 2101, 2103, 2869/2925, 2856, 2847, 2877, 2887, 2897 & 2891 कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं। बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम थाना सं: 62 (रैयाती) खाता सं. 95/2, 147, 148, 427 & 428 के अधीन प्लॉट सं. 2136, 2191, 2101, 2103, 2869/2925, 2856, 2847, 2877, 2887, 2897 & 2891 कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत मोहम्मद अख्तर अंसारी पिता हानिफ अंसारी निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

दि 22 फरवरी

05/02/2019

General Manager (I&R),
COL, Ranchi